निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 823) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 सितम्बर 2016

सं० एसीस्-01/नि0–25/2014–797—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**।– (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।– जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–**

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;

(iii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार;

(iv) **"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार ;

(v) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vi) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) संवर्ग;

(vii) **"मान्यता प्राप्त संस्थान"** से अभिप्रेत है बिहार फार्मेसी परिषद्/भारतीय फार्मेसी परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान;

(viii) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट।

3. **संवर्ग का गठन**।– बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के पदों की कुल संख्या उतनी हीं होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों एवं पदों के सोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् हीं प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा उक्त पदसोपान में कोई संशोधन किया जाता है, तो परिशिष्ट–1 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा और ऐसा संशोधित पदसोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

5. भर्ती। – इस संवर्ग में नियुक्ति फर्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. अहर्ताएँ। –

(1) **शैक्षणिक योग्यता**।– फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट (विज्ञान)/आई0एस0सी0 अथवा समकक्ष के साथ–साथ मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से 'डिप्लोमा–इन–फार्मेसी' में न्यूनतम पात्रता के अंक प्राप्त रहना होगी। अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी परिषद्/भारतीय फार्मेसी परिषद् से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फार्मेसी में स्नातक या स्नात्कोत्तर योग्यताधारी भी इस पद का पात्र हो सकता है, किन्तु इसके लिए कोई वेटेज नहीं दिया जायेगा।

(2) **आयु**।– सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, अवधारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को आयु के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट मानी जायेगी।

7. भर्ती की प्रकिया। –

(1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अंततम 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग रिक्ति संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा एवं उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा, जिसमें लिखित परीक्षा का प्राप्तांक 100% होगा।

(3) आयोग आरक्षण कोटिवार विज्ञापित रिक्तियों तथा उपर्युक्त उप–नियम (2) के अनुसार तैयार मेधा सूची के आधार पर अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा जिसके आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

(4) फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित किए जायेंगे।

8. परिवीक्षा अवधि।– नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में यदि नियुक्ति प्राधिकार की राय में सुधार की गुंजाइश हो तो, परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) की सेवा समाप्त कर सकेगा।

9. विभागीय परीक्षा।– भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विहित किये जायेंगे।

10. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उतीर्ण होने पर भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

11. वरीयता।– भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

12. प्रोन्नति के सोपान।–

(1) परिशिष्ट–1 में यथा उल्लिखित प्रोन्नति वाले पद पर किसी फर्मासिस्ट को प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा जब उसकी सेवा सम्पुष्ट हो और जब वह पद की उपलब्धता के अध्यधीन वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के दायरे में आए।

(2) प्रोन्नति पर विचार करते समय, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रोन्नति और चारित्री या कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0)/आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. विभागीय प्रोन्नति ।–

(1) प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. आरक्षण।– सरकार के आरक्षण नियमों के उपबंधों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. इस नियमावली में जिन विषयों का उपबंध नहीं किया गया है, उनके लिए सरकार की सुसंगत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के उपबंध लागू होंगे।

16. शंकाओं का निराकरण।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो इसे विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के बाद अन्तिम होगा।

17. कठिनाईयों का निराकरण।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।– (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कुछ भी इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट –1
[नियम 12 द्रष्टव्य]
फर्मासिस्ट संवर्ग का पद सोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	फर्मासिस्ट	
2	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	वरीय फर्मासिस्ट	
3	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	मुख्य फर्मासिस्ट	
4	प्रोन्नति का तृतीय सोपान	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट	

नोट – उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतनमान् वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th September 2016

No. ESIS-01/NI-25/2014-797—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate recruitment, promotion and service conditions of Pharmacist cadre under the Employees State Insurance Scheme of the Department of Labour Resources.

1. *Short title extent & commencement.*—(1) These 'Rules' may be called the "Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service conditions) Cadre Rules, 2016"

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions. – In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context,-*

(i) *'Government'* means the Government of Bihar;

(ii) *'Department'* means the Labour Resources Department;

(iii) *'Appointing Authority'* means the Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar;

(iv) *'Cadre controlling Authority'* means Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar;

(v) *'Commission'* means the Bihar Staff Selection Commission;

(vi) *'Cadre'* means the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacy Cadre; and

(vii) *'Recognized Institution'* means the Institute recognized from Pharmacist Council of India / Bihar Pharmacy Council.

(viii) *'Appendix'* means appendix appended to these Rules.

3. *Constitution of Cadre.—* The Cadre of Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist shall be State level. In this cadre, number of posts in every grade and total Number of posts of the cadre shall be the same as sanctioned by the government from time to time.

4. *Hierarchy posts of cadre.—* The hierarchy of different category and posts of this cadre shall be in accordance with the Appendix-1. The personnels having regular appointed and working to the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

The hierarchy mentioned in the Annexure shall be effective only after approval of the Government. During course of consideration any amendment is made in the hierarchy of post if this cadre , then the Annexure would be deemed to be amended accordingly, and the amended Annexure shall be part of this Rules.

5. *Recruitment.—* The Appointment in this Cadre shall be made by direct recruitment to the basic category Pharmacist Cadre post, on the basis of recommendation of the Commission.

6. *Qualification.—*

(1) ***Educational qualification.***— The essential minimum educational qualification for appointment on the post of Pharmacist shall be Intermediate (Science) / I.Sc. or equivalent from a recognized Institute as well as shall have obtained marks of minimum eligibility of "Diploma –in-Pharmacy" from a recognized government Institute. The candidate should be registered to the Pharmacy Council of India / Bihar Pharmacy Council. Besides it, a bachelor or post-graduate in Pharmacy may also eligible to the post, but no weightage would be given for that.

(2) ***Age.—*** The minimum age limit for direct recruitment shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined by the government from time to time with reservation category wise. The cut off date for determination of age shall be deemed to be 1st August of the concerned year.

7. *Procedure of recruitment.—*

(1) The appointing authority, after calculating the vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send a requisition reservation category wise to the Bihar Staff Selection Commission latest by 30th April.

(2) For appointment on the post of Pharmacist, the Commission shall invite applications after advertising the vacancies and shall prepare merit list on the basis of written test of 100 % marks.

(3) The Commission shall send its recommendation to appointing authority on the basis of merit list prepared as per sub-rule (2) above in accordance with advertised vacancies reservation category wise, on the basis of which consideration shall be made for appointment.

(4) The subjects and syllabus of written test for appointment on the post of Pharmacist shall be prescribed by the Bihar Staff Selection Commission .

8. *Probation period.—* The probation period shall be of two years after appointment. (If the Appointing Authority satisfied that there is chance of improving). Probation period may be extended for a period of one year if the service is not found satisfactory. If the service is not found satisfactory even in extended period also, then the Appointing Authority may terminate the service of such Pharmacist.

9. *Departmental examination.—* The Pharmacist shall be required to pass the departmental examination conducted by the Department. The subjects and syllabus of departmental examination will be prescribed by the Department.

10. *Confirmation.—* The services of the Pharmacist may be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing of Departmental Examination & Computer eligibility test examination.

11. *Seniority.—* The inter-se seniority of Pharmacist shall be determined according to the merit list finally prepared by the Commission.